

हाल के वर्षों में जघन्य अपराधों में किशोरों की वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण करें। समाज में इस बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए व्यावहारिक समाधान सुझाएँ।

जघन्य अपराधों में किशोरों की भागीदारी में वृद्धि एक जटिल मुद्दा है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित है। इस बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख योगदान कारक और व्यावहारिक समाधान इस प्रकार हैं:

**योगदान देने वाले कारक**

**सामाजिक-आर्थिक असमानता:** गरीबी और शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच की कमी किशोरों को जीवित रहने या सामाजिक स्थिति प्राप्त करने के साधन के रूप में आपराधिक गतिविधियों की ओर ले जा सकती है।

**पारिवारिक वातावरण:** माता-पिता की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग सहित परिवार की खराब गतिशीलता, अपराधी व्यवहार में योगदान कर सकती है।

**साथियों का दबाव:** किशोर अक्सर अपने साथियों से मान्यता चाहते हैं और स्वीकृति प्राप्त करने या किसी विशेष समूह के साथ फिट होने के लिए आपराधिक गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।

**मादक द्रव्यों का सेवन:** किशोरों में नशीली दवाओं और शराब का उपयोग विभिन्न आपराधिक कृत्यों को जन्म दे सकता है, जिसमें व्यसन को बढ़ावा देने के लिए कब्जा, वितरण या चोरी शामिल है।

**मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** आचरण संबंधी विकार, एडीएचडी या अवसाद जैसे बिना निदान या उपचार किए गए मानसिक स्वास्थ्य विकार अपराधी व्यवहार में योगदान दे सकते हैं।

**अनियमित सोशल मीडिया एक्सपोजर:** सोशल मीडिया पर हिंसक और आपराधिक सामग्री के संपर्क में आने से किशोर ऐसे व्यवहार की नकल करने के लिए प्रभावित हो सकते हैं।

**सामुदायिक कारक:** उच्च अपराध दर, सीमित संसाधन और पड़ोस में सामाजिक अव्यवस्था किशोर अपराध को प्रभावित कर सकती है।

**व्यावहारिक समाधान**

**पारिवारिक हस्तक्षेप:** परामर्श और पालन-पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से पारिवारिक सहायता प्रणालियों को मजबूत करना एक स्थिर घरेलू वातावरण बनाने में मदद कर सकता है।

**शिक्षा और कौशल विकास:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच प्रदान करना किशोरों को सफलता के वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है।

**मानसिक स्वास्थ्य सहायता:** मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रदान करना अपराधी व्यवहार में योगदान देने वाले अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित कर सकता है।

**सामुदायिक पुलिसिंग:** अपराध रोकथाम प्रयासों में समुदाय के सदस्यों को शामिल करना एक सुरक्षित वातावरण बना सकता है और किशोर अपराध को कम कर सकता है।

**सख्त सोशल मीडिया विनियमन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयु प्रतिबंध और सामग्री निगरानी को लागू करना हानिकारक सामग्री के संपर्क को कम कर सकता है।

पुनर्वास कार्यक्रम: किशोर अपराधियों के लिए पुनर्वास और पुनः एकीकरण कार्यक्रम प्रदान करने से उन्हें समाज में पुनः एकीकृत होने और अपराध की पुनरावृत्ति को कम करने में मदद मिल सकती है। न्यायिक सुधार: यह सुनिश्चित करना कि किशोर न्याय प्रणाली दंडात्मक के बजाय निष्पक्ष और पुनर्वासात्मक हो, अपराध के मूल कारणों को संबोधित करने में मदद कर सकती है। निष्कर्ष किशोर जघन्य अपराधों में वृद्धि को संबोधित करने के लिए एक समग्र और बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मूल कारणों से निपटने और समर्थन और संसाधन प्रदान करके, समाज किशोरों को उत्पादक और कानून का पालन करने वाला जीवन जीने में मदद कर सकता है। गोपनीयता के अधिकार के संदर्भ में भारत में नागरिक स्वतंत्रता पर ड्रैगनेट निगरानी के प्रभाव पर चर्चा करें। सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने में चुनौतियों का विश्लेषण करें और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ। ड्रैगनेट निगरानी, जिसमें बड़े पैमाने पर डेटा का अंधाधुंध संग्रह शामिल है, भारत में नागरिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ है, विशेष रूप से गोपनीयता के अधिकार के संबंध में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक के.एस. पुट्टस्वामी मामले (2017) में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी<sup>2</sup>। हालाँकि, AI-संचालित निगरानी तकनीकों को तेज़ी से अपनाने से निजता के उल्लंघन और एकत्रित डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

### नागरिक स्वतंत्रता पर प्रभाव

ड्रैगनेट निगरानी निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का उल्लंघन कर सकती है। मज़बूत कानूनी सुरक्षा उपायों और विनियामक ढाँचों की कमी इन चिंताओं को बढ़ाती है, जिससे नागरिक अनधिकृत डेटा एक्सेस और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं<sup>3</sup>।

### सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियाँ

सार्वजनिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना एक जटिल कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतें अक्सर संवैधानिक सुरक्षा उपायों से टकराती हैं, और स्पष्ट विनियामक ढाँचों की अनुपस्थिति यह सुनिश्चित करना मुश्किल बनाती है कि निगरानी उपाय आनुपातिक और आवश्यक हैं<sup>4</sup>। आनुपातिकता के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत डेटा में किसी भी घुसपैठ को कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए, वैध उद्देश्यों का पीछा करना चाहिए, और लक्ष्य के अनुपात में रहना चाहिए। प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपाय

ड्रैगनेट निगरानी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, कई उपायों को लागू किया जा सकता है:

1. जोखिम-आधारित एआई विनियमन: एक नियामक ढाँचा स्थापित करना जो एआई-संचालित निगरानी से जुड़े जोखिमों का आकलन करता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
2. न्यायिक निरीक्षण: निगरानी गतिविधियों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए न्यायिक निरीक्षण को लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि वे संवैधानिक सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं।
3. पारदर्शी डेटा प्रथाएँ: सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही बनाने के लिए डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और भंडारण प्रथाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
4. क्षमता निर्माण पहल: क्षमता निर्माण पहल में निवेश करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता को गोपनीयता अधिकारों और जिम्मेदार डेटा प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रयास।

### निष्कर्ष

तकनीकी प्रगति को संवैधानिक मूल्यों के साथ संतुलित करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि AI-संचालित निगरानी नागरिक स्वतंत्रता को कम किए बिना सार्वजनिक हित में काम करे। राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को

संबोधित करते हुए गोपनीयता की रक्षा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा आवश्यक है।